तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/2350/2006/बून्दी** **गोपाल बाई बनाम जीता**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर ,सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 29–9–2023

1– यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–1–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, बून्दी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 25–3–95 मृतक आनन्दीलाल के पुत्रों के नाम तस्दीक किया गया । उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील जिला कलेक्टर, बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 7–4–2004 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 25–3–95 निरस्त कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–1–2006 द्वारा आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7–4–2004 निरस्त कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 25–3–95 विधि के प्रावधानों के विपरीत तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिए बगैर पारित किया गया है । नामान्तरकरण किसी अपंजीकृत रिलीज डीड के स्वीकृत किया गया था । प्रार्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/2350/2006/बून्दी** **गोपाल बाई बनाम जीता**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जगह किसी अन्य व्यक्ति को गोपालबाई बनाकर रिलीज डीड करवाई गई जो एफएसएल की रिपोर्ट से साबित था । यदि नियमित वाद लम्बित है तो नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में नामान्तरकरण दावे के लम्बित रहते स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए । अतः निगरानी स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा का निर्णय दिनांक 24-1-2006 निरस्त कर जिला कलेक्टर, बून्दी का निर्णय दिनांक 7-4-2004 यथावत रखा जावे । 5- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश करने का कथन किया था परन्तु पेश नहीं की है । उनका कथन है कि तहसीलदार द्वारा आनन्दीलाल के फौत होने पर जो विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था । दावा अभी लम्बित है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही है, जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं किया जा सकता है। हक व अधिकार सक्षम न्यायालय में नियमित वाद से प्राप्त किये जाने होते हैं। नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में अधिकारों की घोषणा संभव नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे । 6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। 7- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तकरण संख्या 430 दिनांक 25-3-1995 का है, जो आनन्दीलाल मृतक के स्थान पर उसके वारिसों के नाम दर्ज किया गया है। तहसीलदार द्वारा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जांच, निरीक्षक व रजि0 रिलीज डीड भूमि किता 3 रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा से भूरी, कमला व गोपाली का नाम हटाने की स्वीकृति दी है एवं इस आधार पर अप्रार्थी जीता, नीमलाल, व बद्रीलाल कौम मीना दर्ज किया गया । नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है तथा इससे कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। **आर.आर.टी. 2008 पृष्ठ 936 पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-** **Mutation cannot be kept in abeyance on the ground of**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/2350/2006/बून्दी** **गोपाल बाई बनाम जीता**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

pendency of suit .

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अधिकारों का विनिश्चयन किया जाना है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–1–2006 में यही अंकित किया है कि अपीलार्थीगण निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार इस प्रकरण में संस्थित कृषि भूमि का बेचान रहन आदि नहीं करेंगे तथा उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में पक्षकारों के बीच विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय से पाबंद रहेंगे । इस प्रकार उक्त निर्णय से प्रार्थी के अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पडा है बल्कि उक्त आदेश एक विधिसम्मत आदेश है। हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जो निम्न प्रकार है–

"84. Power of Board to call for records and revise orders – The Board may call for the record of any case of a judicial nature or connected with settlement in which no appeal lies to the Board if the court or officer by whom the case was decided appears to have exercised a jurisdiction not vested in it or him by law, or to have exercise jurisdiction so vested, or to have acted in the exercise of its or his jurisdiction illegally or with material irregularity, and may pass such orders in the case as it thinks fit."

उक्त धारा के प्रावधानों के मध्य नजर आलोच्य आदेश में ऐसी कोई तथ्यात्मक, विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है तथा ऐसे विधिसम्मत आदेश में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है ।

8– उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य